पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) में कुलपति के पद पर नियुक्ति

छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय बिलासपुर द्वारा पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय अधिनियम 2004 की धारा 9(2) के तहत विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर नियुक्ति हेतु विचार करने के लिए उपयुक्त व्यक्तियों के पैनल की अनुशंसा हेतु समिति का गठन किया गया है।

उपरोक्तानुसार समिति द्वारा तैयार किए जाने वाले पैनल में सम्मिलित करने के लिए, ऐसे व्यक्तियों से जो शिक्षा के क्षेत्र में प्रख्यात हो तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रेगुलेशन क्र. एफ.3–1/2009 दिनांक 30 जून, 2010 के पैरा 7.3.0 (i) {विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 26 (1)(e)(g) के अंतर्गत भारत सरकार का राजपत्र 18 सितंबर 2010 (भद्र 27, 1932) में प्रकाशित} के अनुसार वांछित अर्हता को पूर्ण करते हो, समिति की ओर से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

कुलपति का कार्यकाल 5(पांच) वर्ष या 70(सत्तर) वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो, होगा । आवेदन पत्र 3 प्रतियों में, बायोडाटा सहित जिसमें शैक्षणिक, शोध एवं प्रशासनिक अनुभव के अभिलेख (3 प्रतियों में) और नवीनतम 3 रंगीन फोटोग्राफ सम्मिलित करते हुए स्पीडपोस्ट/कुरियर के द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता के पते पर दिनांक 02.12.2014 के पूर्व लिफाफे में जिस पर पदनाम, विश्वविद्यालय का नाम अंकित हो, भेजना आवश्यक है। आवेदन पत्र के साथ एक संक्षिप्त नोट, जो 500 शब्दों से अधिक न हो जिसमें आवेदक उक्त पद के लिये अपने आपको क्यों उपयुक्त समझते हैं, भी संलग्न करना होगा ।

चयन समिति इस विज्ञापन के आधार पर प्राप्त आवेदन पत्रों पर ही विचार करने के लिये बाध्य नहीं है और वह इसके अतिरिक्त भी अन्य योग्य व्यक्तियों जो इस पद के लिये उच्च शैक्षणिक योग्यता और ख्यातिनाम संस्था से सम्बद्ध हों, को बुलाने और उनके चयन पर विचार करने के लिए स्वतंत्र है ।

राज्यपाल के अवर सचिव,
राजभवन,
रायपुर (छत्तीसगढ़)
पिन–492 001

राज्यपाल के अवर सचिव